भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3976

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

ईपीएस-95 की शिकायतें

3976. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संघों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के अंतर्गत अनसुलझे मुद्दों, जिनसे अपर्याप्त पेंशन राशि और चिकित्सा सहायता की कमी शामिल है, के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए 7,500 रुपए की न्यनूतम गारंटीकृत मासिक पेंशन, संराशिकृत पेंशन की बहाली और स्वास्थ्य कवरेज के प्रावधान जैसी मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन कर्मचारियों के लिए पेंशन की पर्याप्तता का आकलन करेगी, जो संशोधन-पूर्व वेतन संरचना के तहत सेवानिवृत्त हुए थे या जिन्हें प्रशासनिक चूक के कारण बाहर रखा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की ईपीएस-95 योजना में संशोधन करने या अन्य पेंशन ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु एक अलग कल्याण तंत्र बनाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): ईपीएस, 1995 एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर पर अंशदान; और (ii) केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर पर अंशदान, 15000/-रुपये प्रति माह तक, की राशि से मिलकर बना है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसी संचित निधि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यथाअधिदेशित इस निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और 31.03.2019 को इस निधि के मूल्यांकन के अनुसार इसमें बीमांकिक घाटा है।

तथाति, सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को 1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यनूतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

******